कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी,देवघर वन प्रमण्डल, देवघर

संयुक्त वन भवन, बेलाबगान, देवघर

फोन / फैक्स नं0–6432–232397, मो0–9431137795, ईमेल–dfo.deoghar2@gmail.com

पत्रांक 01–02–व॰भू॰ / 02(22)15 / 16 .... दिनांक ....

सेवा में,

श्री बी॰भी॰ सुव्वाराव,
उप महाप्रबंधक,
जे॰सी॰बी॰ / 8 सूर्यदेव नगर
हर्ष बिहार कॉलोनी,
सरायढ़ेला, धनबाद–828127 (झारखण्ड)।

विषय : **देवघर वन प्रमंडल के अन्तर्गत 220 के॰भी॰ गोविन्दपुर–दुमका ट्रान्समीशन लाईन निर्माण हेतु 5.5529 हे॰ वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव।**

प्रसंग : 1. **आपका पत्रांक – ई॰आर॰–1 / जे॰सी॰पी॰ / धनबाद / जी॰डी॰टी॰एल॰ / फॉरेस्ट, दिनांक 08.01.17।**

2. **इस कार्यालय का पत्रांक 40 दिनांक 07.01.2017।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र (2) के द्वारा प्रस्ताव में सन्नहित निम्नलिखित 7 (सात) कमियां / त्रुटियां के निराकरण प्रतिवेदन की माँग की गयी है। प्रासंगिक पत्र (1) द्वारा त्रुटियों / कमियों का आंशिक निराकरण किया गया है।

1. प्रतिवेदन में मौजा कुशमाहा के प्लॉट संख्या 19 को Transmission line Cooridor के बाहर बताया गया है, परन्तु Annexure-XII में समर्पित मानचित्र में प्रस्तावित Transmission line उक्त प्लॉट संख्या से गुजरती है।

मौजा कुशमाहा के प्लॉट संख्या 38 को ग्राम सभा के संकल्प को आधार मानते हुए श्री महेन्द्र भोक्ता का रैयती बताया गया है जो मान्य नहीं होगा। संशय की स्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत भूमि किस्म प्रमाण पत्र अथवा खतियान की अभिप्रमाणित प्रति को ही आधार माना जा सकता है।

अतः निम्नलिखित सभी वनभूमि को प्रस्ताव में शामिल करना आवश्यक है।

क्र॰सं॰	मौजा	थाना नं॰	थाना	प्लॉट नं॰	किस्म भूमि
1	2	3	4	5	6
1	कुशमाहा	586	पालोजोरी सारठ	19, 38	जंगल
2	हरिराखा	587	पालोजोरी सारठ	170	जंगल झाड़ी
3	सीमला	625	पालोजोरी सारठ	1263	अधिसूचित वनभूमि

माननीय उच्चतम न्यायालय के याचिका संख्या 202/95 में दिनांक 12.12.1996 के पारित आदेश के अनुसार खतियान/सरकारी अभिलेख में दर्ज जंगल/जंगल झाड़ी किस्म भूमि को वनभूमि माना गया है।

अतः संशोधित प्रस्ताव समर्पित किया जाय।

2. निम्नलिखित प्लॉट नम्बर के जंगल झाड़ी/जंगल होने की प्रबल संभावना है।

क्र॰सं॰	मौजा	थाना नं॰	थाना	प्लॉट नं॰
1	2	3	4	5
1	सरसवाद	649	पालोजोरी सारठ	16, 118
2	चांदपुर	617	पालोजोरी सारठ	2
3	मधुपुर	626	पालोजोरी सारठ	3
4	मदनजोरी	627	पालोजोरी सारठ	9
5	घोसी	582	पालोजोरी सारठ	662
6	सिमलगढ़ा	589	पालोजोरी सारठ	976
7	दुधानी	630	पालोजोरी सारठ	349

अतः अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत भूमि किस्म प्रमाण पत्र अथवा खतियान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाय।

ग्राम सभा संकल्प या वेबसाईट के आधार पर भूमि किस्म मान्य नहीं होगा।

3. वनाधिकार के तहत् उपायुक्त के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र Form-I एवं Form-II में समर्पित करना आवश्यक है।

प्रस्ताव में उपायुक्त, देवघर के द्वारा निर्गत एफ॰आर॰ए॰ संबंधित प्रमाण पत्र केवल Form-I में समर्पित किया गया है। Form-II अद्यतन अप्राप्त है, समर्पित किया जाय।

4. संशोधित प्रस्ताव के अनुसार छोड़े गये जंगल/झाड़ी जंगल भूमि हेतु उपायुक्त के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं वनाधिकार के तहत् प्रमाण पत्र समर्पित किया जाय।

5. प्रस्ताव में संलग्न कुछ अभिलेखों पर हस्ताक्षर एवं मुहर नहीं है।

6. वृक्षों की संयुक्त गणना सूची अप्राप्त है।

7. संशोधित प्रस्ताव के अनुसार परियोजना क्षेत्र में पड़ने वाले प्रत्येक ग्रामों के वनभूमि हेतु ग्राम सभा का संकल्प समर्पित किया जाय।

अनुरोध है कि उपरोक्त त्रुटियों/कमियों का निराकरण किया जाय। अधुरा प्रस्ताव स्वीकार नही होगा ।

विश्वासभाजन

ह०/

वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

ज्ञापांक 01–02–व॰भू॰ / 02(22)15 / 16 ......158...... दिनांक ....23/1/17....

प्रतिलिपि : मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोड, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

23/01/17

O/C

वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

D\Extra\Amnt.-S/Type doc (P-10)